न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 553 सन 2019

अनवान :–

1. अमरजीत सिह पुत्र वीर सिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मखनसिह पुत्र वीरसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी ।

वादीगण

बनाम

1. परमजीत सिह पुत्र जयसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जसवन्तसिह पुत्र बलदेवसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. हरबंश सिह पुत्र बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 3/1/20

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 69/119 की कुल 16.7820हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा यानी 4.1955हैक भूमि वादीगण के नाम से एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 46/45 की कुल 33.2220हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 167–9/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम 167–45/80 हिस्सा व रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 18 की कुल 6.3250हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम 0.5270हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान में रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 46/45 की भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 18 की भूमि भी वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा रोही मौजा चक देईदासपुरा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने अपने पूर्वजों के समय में ही आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज नही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अपने कब्जा काश्त के अनुसार ही भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के द्वारा बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 69/119 की कुल 16.7820हैक भूमि में से 1 /4 हिस्सा यानी 4.1955हैक भूमि वादीगण के नाम से एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 46/45 की कुल 33.2220हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 167–9/16 हिस्सा प्रतिबादी संख्या 2 ,3 के नाम 167–45/80 हिस्सा व रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 18 की कुल 6.3250हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम 0.5270हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान में रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 46/45 की भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 18 की भूमि भी वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा रोही मौजा चक देईदासपुरा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने अपने पूर्वजों के समय में ही आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज नही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अपने कब्जा काश्त के अनुसार ही भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 69/119 की कुल 16.7820हैक भूमि में से 1 /4 हिस्सा यानी 4.1955हैक भूमि वादीगण के नाम से एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 46/45 की कुल 33.2220हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 167–9/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम 167–45/80 हिस्सा व रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 18 की कुल 6.3250हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम 0.5270हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि जमाबन्दी के अनुसार विरास्तन से प्राप्त हुई है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से वर्तमान में दर्ज भूमि पूर्वजों के देहान्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
बांदीकुई

प्रतिवादीगण एक ही पुर्वज के वंशज है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार भूमि सुयक्त खाता में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज भूमि का उनके पूर्वजों के द्वारा आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर दिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि का पूर्व में बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

सयुक्त खातेदार काश्तकार एवं एक ही परिवार के सदस्य काश्त की सूविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 46/45 की कुल 33.2220हैक भूमि में से 167–9/16 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है एवं 167–45/80 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से दर्ज है के वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा 15 बारानी के खाता संख्या 28 की कुल 6.3250हैक भूमि में 1/12 हिस्सा यानि 0.5270हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व 0.5270हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से दर्ज है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा के वादीगण खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक देईदास पुरा के खाता संख्या 69/119 की कुल 16.7820हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा यानी 4.1955हैक जो वादीगण संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है के प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/1/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अमरजीत सिह पुत्र वीर सिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मखनसिह पुत्र वीरसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी ।

वादीगण

बनाम

1. परमजीत सिह पुत्र जयसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जसवन्तसिह पुत्र बलदेवसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. हरबंशसिह पुत्र बलदेवसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खूर्द तहसील टिब्बी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 553 सन 2019 निर्णय दिनांक– 3/1/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 46/45 की कुल 33.2220हैक भूमि में से 167–9/16 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है एवं 167–45/80 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से दर्ज है के वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा 15 बारानी के खाता संख्या 18 की कुल 6.3250हैक भूमि में 1/12 हिस्सा यानि 0.5270हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व 0.5270हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से दर्ज है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा के वादीगण खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक देईदास पुरा के खाता संख्या 69/119 की कुल 16.7820हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा यानी 4.1955हैक जो वादीगण संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है के प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/1/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)